

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तैतालीस'

[ 22/3/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 1431 ]

परिशिष्ट "अ"

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाएं

क्रमांक	विभाग	अधिसूचित सेवा का नाम	समय सीमा कार्य दिवस ग्रामीण/शहरी
1.	राजस्व विभाग	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर अर्थिक सहायता दी जाना।	30
2.		चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	5
3.		चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	15
4.		भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।	15
5.		भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।	45
6.		वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान।	30
7.		नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।	30
8.		शोध क्षमता प्रमाण पत्र।	30
9.		राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार का प्रदाय करना।	15
10.		अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेख/राजस्व प्रकरणों/नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना।	15
11.		राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना।	30
12.		बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय।	30
13.		भूमि का सीमांकन करना।	30
14.		अविवादित नामांतरण करना।	30
15.		अविवादित बंटवारा करना।	30
16.		म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरांत, संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुनः निर्धारण किया जाना।	90 30

